न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 18 सन 2022
अमवान :–

1. पृथ्वीसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 24/03/2022

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता संख्या 30/26 की कुल 6.3250हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय टिटन बाडा तहसील उदयपुर दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही सकुनत चक 6 जीजीएम तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की सकुनत गलत तोर से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी की सकुनत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में चक 6 जीजीएम तहसील नोहर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की सकुनत गलत तौर से दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता संख्या 30/26 की कुल 6.3250हैक्ट भूमि में प्रार्थी की सकुनत टिटन बाडा तहसील उदयपुर के स्थान पर चक 6 जीजीएम तहसील नोहर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता संख्या 30/26 की कुल 6.3250हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय टिटन बाडा तहसील उदयपुर दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही सकुनत चक 6 जीजीएम तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की सकुनत गलत तोर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की सकुनत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में चक 6 जीजीएम तहसील नोहर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की सकुनत गलत तौर से दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता संख्या 30/26 की कुल 6.3250हैक्‍ भूमि में प्रार्थी की सकुनत टिटन बाडा तहसील उदयपुर के स्थान पर चक 6 जीजीएम तहसील नोहर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता संख्या 30/26 की कुल 6.3250हैक्‍ भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी की सकुनत टिटन बाडा तहसील उदयपुर दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसकी सही सकुनत चक 6 जीजीएम तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सकुनत चक 6 जीजीएम तहसील नोहर दर्ज है प्रार्थी अपनी सकुनत के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नही के आधार पर प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सकुनत संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता संख्या 30/26 की कुल 6.3250हैक्‍ भूमि में प्रार्थी की सकुनत टिटन बाडा तहसील उदययपुर दर्ज है के स्थान पर चक 6 जीजीएम तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 838 दिनांक :- 25/03/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 18 / 2022 अनवानी पृथ्वीसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रसंग :- अनवान :-

1. पृथ्वीसिह पुत्र सुरजनसिह जाति राजपूत साकिनचक 6 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 18 / 2022 अनवानी पृथ्वीसिह बनाम सरकार में दिनांक 24/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता संख्या 30 / 26 की कुल 6.3250हैक भूमि में प्रार्थी की सकुनत टिटन बाडा तहसील उदययपुर दर्ज है के स्थान पर चक 6 जीजीएम तहसील नोहर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner